रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2014/वैशाख 17, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 22
No. 63] DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2014/VAISAKHA 17, 1936 [N.C.T.D. No. 22

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2014

सं. फा. 16. (424)/शाoविo/जल/2013/157.–दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 के खण्ड (एम) के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संकल्प संख्या 2105 दिनांक 28.11.2011 के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती की विधि एवं योग्यता हेतु बनाए गए निम्नलिखित भर्ती एवं पदोन्नति विनियमों को सामान्य सूचना हेतु एतद्द्वारा नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

1. (1) **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद के भर्ती और पदोन्नति विनियम 2014 कहा जायेगा ।

(2) यह विनियम दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों में संलग्न उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा एवं अन्य योग्यताएं.**—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु–सीमा, योग्यताऐं तथा इससे सम्बधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।

4. **अयोग्यताएं.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह कर लिया है, अथवा करार किया है अथवा

(ख) जिसने अपने पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है,

उपरोक्त किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा :–

बशर्ते कि दिल्ली जल बोर्ड सरकार के अनुमोदन से यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है एवं इस विवाह को करने के लिए अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस विनियम से मुक्त कर सकता है ।

5. **नियमित सेवा.**—किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है उक्त ग्रेड में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन के द्वारा उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि या अवधियाँ इसमें उनके अवकाश पर रहने अथवा ऐसे पद को संभालने के लिए उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद को न संभाल पाने की अवधि अथवा अवधियाँ भी सम्मिलित होंगी ।

6. **शिथिलता प्रदान करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश देकर, लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्ति को इन विनियमों के किसी भी उपबंध में शिथिलता प्रदान कर सकती है ।

7. **बचाव.**—इन विनियमों से भारत सरकार द्वारा, अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए इस बारे में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण एवं अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी ।

'अनुसूची'

सयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा) पद हेतु भर्ती नियम ।

1.	पद का नाम	:	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)
2.	पदों की संख्या	:	2 (2013) कार्यभार के आधार पर निर्भर विभिन्नता की शर्त पर ।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग "अ"
4.	वेतनमान	:	पे बेन्ड–3 में रूपये 15,600–39,100 व ग्रेड पे रूपये 7600 सहित ।
5.	चयन अथवा गैर चयन	:	लगू नहीं ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताऐं	:	लागू नहीं ।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं वाँछित योग्यताऐं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ।	:	लागू नहीं।
9.	परवीक्षा की अवधि :	:	लागू नहीं ।
10.	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्त/संविलयन द्वारा विभिन्न विधियों से पदों को भरें जाने का प्रतिशत ।	:	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध) द्वारा ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती के मामलों में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाना है?	:	**पदोन्नति :** उप–निदेशक (वित्त एवं लेखा) के पद पर पे बेन्ड–3 में रू. 15,000–39,100 व रू. 6600 ग्रेड पे सहित उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से वित एवं लेखा मामलों में प्रशिक्षण प्राप्त । **टिप्पण :** जहां कनिष्ठ जो अर्हक/पात्रता सेवा अवधि पूरी होने पर पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे वहीं उनसे वरिष्ठ भी, पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे, बशर्ते उनकी अपेक्षित दक्षता/पात्रता अवधि, आधी से कम अथवा दो वर्ष जो भी न्यून हो, से कम न हो तथा उन्होंने परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठों के साथ पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित)** केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान/अर्ध शासकीय अथवा स्वायत्त अथवा संवैधानिक संगठन के अधिकारी जो क) 1. अपने मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अथवा 2. मूल संवर्ग/विभाग में पे बेन्ड–3 में रू. 15600–39100 ग्रेड पे रूपये 6600 के वेतनमान में अथवा समकक्ष नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की

			नियमित सेवा अथवा 3. मूल सवंर्ग/विभाग में पे बैंड–3 में रूपये 15600–39,100 रूपये 5400 ग्रेड पे के वेतनमान में दस वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष (ब) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के धारक : (i) केन्द्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा उत्तीर्ण या समकक्ष (ii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान से कैश एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण या समकक्ष तथा कैश एवं लेखा एवं बजट कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्निति की सीधी पंक्ति में आते हैं, उनके मामले में प्रतिनियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे । प्रतिनियिुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) उसी संस्थान में या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में नियुक्ति से पूर्व की किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रति नियुक्ति की किसी अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी–** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के उद्देश्य हेतु, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 1.1.2006 से नियमित आधार पर की गयी सेवा (तिथि जब से छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गयी), वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित समवर्ती ग्रेड–पे/वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी सिवाए उसके जहां पूर्व संशोधित वेतनमान में एक से अधिक वेतनमान को एक ग्रेड में समान ग्रेड पे/वेतनमान में सम्मिलित कर दिया गया हो तथा जहां इस लाभ को केवल उस पद के लिए जिसकी ग्रेड पे/वेतनमान सामान्य परिवर्तित ग्रेड में बिना किसी उच्चीकरण के लागू हो ।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?	:	**वर्ग 'अ' (पदोन्नति करने के लिए विचार हेतु)** 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य (प्रशासन) दिल्ली जल बोर्ड : सदस्य 3. सदस्य (वित्त), दिल्ली जल बोर्ड : सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है ?	:	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

ए. वी. प्रेम नाथ, संयुक्त सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2014

No. F.16(424)/UD/W/2013/157.—The following Recruitment and Promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998), vide Delhi Jal Board Resolution No.2105 dated 28.11.2011, regarding the method of Recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Joint Director (Finance and Accounts), in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These regulations may be called the Recruitment Regulations for the post of Joint Director (Finance and Accounts), Delhi Jal Board, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—Number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these Regulations.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—Any person—

(a) who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with a person;

shall not be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, with the approval of Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Regular service.—"Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection, according to the prescribed, for long term appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such a post.

6. Power to relax.—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these Regulations shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Joint Director (Finance and Accounts)

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Joint Director (Finance and Accounts)	02* (2013) Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'	PB-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade pay Rs. 7600)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/absorption and % of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable.	Not applicable	By Promotion failing which by eputation (including short term contract.)

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, rades from which promotion/deputation/ absorption is to be made	If a DPC exists, what is its Composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11.	**12.**	**13.**
Promotion: Deputy Director(Finance and Accounts) in the PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs.6600/- with five years regular service in the grade and have undergone training in Finance and Accounts matters from the Delhi Jal Board Training Institute. **Note.** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. **Deputation(Including short term contract)** Officers of the Central/State Govts/UTs/Universities Recognized Research Institutions/PSUs/Semi Govt. or Autonomous or Statutory Organizations:- (A)(1) Holding analogous post in regular basis in the parent cadre/department; OR (ii) With five year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-3, Rs. 15,600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre/department. OR (iii) with ten year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Pay Band-3, Rs. 15,600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre/department. AND (B) Possessing on of the following educational qualifications and experience :- (i) A pass in subordinate accounts service or equivalent examination conducted by any orgainsed accounts department of Centre Government or . (ii) Successfully completed the training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat training and Management (ISTM) or equivalent and	**Group 'A' DPC (for Promotion)** 1. Chairman/Member: -Chairman UPSC 2. CEO/Member (Admn.), Delhi Jal Board -Member 3. Member (Finance.), Delhi Jal Board -Member	Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion.

1922 DG/14-2

possessing five years experience in cash and Accounts and budget works. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed FOUR years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). Note : For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6^{th} CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/ Pay Scale is the normal replacement grade without any Up-gradation.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Union Territory of Delhi,

A. V. PREM NATH, Jt. Secy. (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.